भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-104

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु योजना

104. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट श्रेणी के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस योजना के लिए कोई बजट का प्रावधान किया गया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूली शिक्षा में कई पहलें की गई हैं जैसे स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और समता मूलक कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; तीसरी कक्षा के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश- तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; पीएम ई-विद्या शिक्षा तक सुसंगत मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करेगा, दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए, प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ; परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय

डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि।

उच्चतर शिक्षा में विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जैसे पूर्व-स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देशों/विनियमों के संयोजन में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) तैयार करना; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम चलाना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों का पता करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत, अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण सक्षम करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयं प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रैक्टिस के प्रोफेसर संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश तथा एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रवेश की अनुमति देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020 (**एनईपी **2020)** का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर न खोए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति**,** अनुसूचित जाति**,** अनुसूचित जनजाति**,** अन्य पिछड़ा वर्ग**,** अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य स्कूल शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में पहुँच**,** भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना है।

(घ) और (ड): केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है**,** वर्ष 2021-22 **से** 2024-25 तक का बजट आवंटन नीचे दिया गया है:

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)	93,224.31	1,04,277.72	1,12,899.47	1,21,117.77

*****